## बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-112/2019 - उ०/६ प्रेषक.

/पटना, दिनांक- २४/८/२०२०

संजय द्बे, भा०प्र०से० अपर सचिव।

सेवा में.

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पर्थों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

Si. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification with surface renewal (in lakh)	Five Year Maintanance Cost (in lakh)	Cost of Emergent Repair (10%)	Total Estimated cost (in lakh)	
	2	3	4	5	6	7		,	
1	Muzaffarpur East 1	Mushari	Bhagwanpur Panchayat antargat Sarganesh dat tola PMGSY me Rajkishor sahi ke ghat to soyal Academy hote hue chanpur mukh path	0.800	32.25300	7.35100	3.22530	42.82930	Project ID-315721038260
2	Muzaffarpur East 1	Mushari	Patahi Chowk se Training School Hote hue Mahammadpur Dari pokhar To Gopal Ji Thakur Ke ghar tak	1.180	34.24700	10.92400	3:42470	48.59570	Project ID-315721060448
3	Muzaffarpur East 1	Mushari	Bhagwanpur Panchayat Antargart Swami Sahjanand Colony main Door to Durgesh Pathak ke Ghar hote hue Jitendra Babu ke ghar tak	0.700	18.02500	6.32200	1.80260	26.15060	Project ID-315721065146
Total				2.680			1	117.57560	ا

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1 योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत् MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-मु0अ0-4(मु0)-3054-04-112/2019 में दिनांक-07.07.2020 को प्राप्त है।

18/8/2020

- 5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-112/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
- 6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संमाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
- 9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्घारित प्रकियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
- 10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान / प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
- 11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- 12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में
- 13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
- 15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
- 16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु030-4(मु0)-3054-04-112/2019 के **प0**— 43/टि0 पर दिनांक— 25.8/1815 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक- मु०अ०-४ (मु०)-3054-04-112/2019 - ३०२५

/पटना, दिनांक- <u>१</u>८|६| 2020

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, मुजफरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक – मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–112/2019 –30) ( /पटना, दिनांक – 28/8/5/02 र प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर /जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता—3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी—1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव